



E-Mail-pvvnlace@gmail.com
CIN- U31200UP2003SGC027458

पत्रांक : /प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/लेखा/पी-2 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में *ultra v* घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टीसी-1-का-2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या 60-विनियम एवं काविर्न पाकालि/2015-3- विनियम/92 दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की प्रोन्नति को निरस्त करते हुए, उन्हें स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप सं 3366 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा किये गये पदावनत आदेशों के अनुक्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठ सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति अनुरूप चयनित करते हुये तदानुसार प्रोन्नत एवं तैनात किया जाता है:-


क्र0 सं0	नाम/गृहजनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल वरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/दिनांक तथा तैनाती कार्यालय का नाम
1.	2	3	4	5
1.	श्री महेश कुमार/अलीगढ़/ 31.10.2026/लेखा/ वि0न0वि0खं0-प्र0, मुरादाबाद(कार्यालय ज्ञाप सं0 2971 दिनांक 11.08.15 के द्वारा परि0ले0का0(वि0), मुरादाबाद में अस्थायी रूप से सम्बद्ध)	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 21.02.2013 वि0न0वि0खं0-प्र0, मुरादाबाद (कार्यालय ज्ञाप सं0 2971 दिनांक 11.08.15 के द्वारा परि0ले0का0(वि0), मुरादाबाद में अस्थायी रूप से सम्बद्ध)
2	श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह/ गौतमबुद्ध नगर/31.10.2028/लेखा/ वि0न0वि0खं0-प्रथम, मेरठ	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 21.02.2013 वि0न0वि0खं0-प्रथम, मेरठ
3	श्री सर्वेश कुमार/मेरठ/ 31.1.2032/लेखा/ वि0वि0खं0, नकुड	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 21.02.2013 वि0वि0खं0, नकुड
4	श्री जोगिन्दर सिंह/ गाजियाबाद/ 30.6.2037/लेखा/वि0भं0खं0, सहारनपुर	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 21.02.2013 वि0भं0खं0, सहारनपुर
5	श्री सत्य प्रकाश/उत्तर पश्चिम- दिल्ली/30.4.2034/लेखा/ वि0न0वि0खं0-च0, गाजियाबाद	लेखाकार	सहायक लेखाकार	लेखाकार 21.02.2013 वि0न0वि0खं0-च0, गाजियाबाद

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(वित्त)/निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. अपर सचिव-तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0,।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(वितरण), प0वि0वि0नि0लि0,।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0,।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0,..... को उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0-60-विनियम एवं काविनि/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 के अनुपालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं0 414/2015 दिनांक 20.08.2015 को दिए गए निर्देशानुसार यह सुनिश्चित करेंगे की उक्त कार्मिक कों किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा साथ ही उक्त आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
11. कम्प्यूटर अनुभाग, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिगत पत्रावली।


(पी0के0 अग्रवाल)
उपमहाप्रबन्धक(लेखा)